नियमों की अनदेखी से बीमारियों को मिल रहा बढ़ावा

मप्र वालेंट्री हेल्थ एसोसिएशन के सर्वे में होटल व रेस्त्रां में हो रहा खुला उल्लंघन

सिटी रिपोर्टर »

धूम्रपान कानून लागू होने के बाद शहर में धूम्रपान से निकले धुएं का स्तर नागरिकों के लिए चौंकाने वाला है। एक सर्वे में यह बात सामने आई कि होटल्स व रेस्त्रां में धुएं से निकलने वाला पार्टीकुलेट मेटर (पीएम) 2.5 माइक्रोन मापा गया। इन पीएम की साइज इतनी छोटी है कि ये फेफड़ों के अंदर सबसे छोटे सेल तक पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं और कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन रहे हैं।

वालेंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के निदेशक डॉ. पीसी भटनागर ने संवाददाताओं को बताया सिगरेट आदि के पार्टीकुलेट मेटर का साइज इतना छोटा होता है कि कल्पना नहीं कर सकते। इनके लंग्स में जाते ही लंग कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट डिसीज में कार्डियोवास्क्यूलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी हो जाती है। मप्र वालेंट्री हेल्थ एसोसिएशन इंदौर के कार्यक्रम अधिकारी बंकुल शर्मा कहते हैं इंदौर के चार स्थानों पर किए सर्वे में पाया कि लोग होटल के अंदर धूम्रपान कर रहे थे।

यह कहता है कानून : मुकेशकुमार सिन्हा ने बताया भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून की धारा 4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह निषेध है। इन सभी स्थानों पर निषेध के बोर्ड लगाना अनिवार्य है। 30 से ज्यादा कमरे वाले होटलों में धूम्रपान के लिए अलग से कक्ष बनाना जरूरी है। ऐसे कक्ष में स्टॉफ द्वारा खाद्य व ड्रिंक्स की सप्लाई पर भी रोक है।